

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 380 / FP/UK/ROAD/33941/2018 देहरादून: दिनांक 04 अगस्त, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-नैनीताल के विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-
ओखलकाण्डा-खन्सयू-पतलोट मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 में 42 मी0 स्पान
क्लास-ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.02 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो
हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online file no - FP/UK/ROAD/33941/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाइन प्रेषित किया गया है
जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा
रही है। अतः प्रस्ताव 1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल तथा वृक्ष प्रभावित न होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक
स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।
संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या /1जी- FP/UK/ROAD/33941/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, जनपद-नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
7. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक, लो0नि0वि, नैनीताल।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-नैनीताल में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू-पतलोट मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 में 42 मी0 स्पान क्लास-ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.02 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online file no - FP/UK/ROAD/33941/2018)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु हल्द्वानी वन प्रभाग में 0.02 हे0 सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, तथा वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-नैनीताल में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू-पतलोट मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 में 42 मी0 स्पान क्लास-ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक

सरकारी मोहर:

तिथि : 04/8/2018

स्थान : देहरादून